मध्यप्रदेश शासन

विधि और विधायी कार्य विभाग

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2015–2016

जनवरी 2016

भोपाल

शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय

2016

मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग

विभागीय संरचना

विधि मंत्री — सुश्री कुसुम सिंह महदेले

सचिवालय

1.	प्रमुख सचिव	श्री विरेन्दर सिंह	उच्च न्यायिक सेवा
2.	सचिव	श्री आर.के. वाणी	उच्च न्यायिक सेवा
3.	सचिव संविदा	श्री आर.पी. शरण	उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त
		श्री. जे.के. वैद्य	उच्च न्यायिक सेवा से सेवानिवृत्त
4.	अतिरिक्त सचिव	श्री अमिताभ मिश्र	उच्च न्यायिक सेवा
		श्री राजेश यादव	सचिवालयीन सेवा
5.	उप सचिव	श्री परितोष कुमार तिवारी	सचिवालयीन सेवा
		श्रीमती सामवती बरला	सचिवालयीन सेवा (जबलपुर)
6.	अवर सचिव	श्री महेन्द्र कुमार जैन	सचिवालयीन सेवा
		श्रीमती रजनी पंचौली	सचिवालयीन सेवा
		श्री सी.एल. मुकाती	सचिवालयीन सेवा
		श्री आर. पी. गुप्ता	सचिवालयीन सेवा (जबलपुर)
		श्री हरिमोहन बाथम	सचिवालयीन सेवा
		श्रीमती चंद्रकान्ता चौरसिया	सचिवालयीन सेवा
7.	स्टाफ आफिसर	श्री अनिल शर्मा	सचिवालयीन सेवा
8.	वरिष्ठ लेखा अधिकारी	श्री राजेश सिंह	वित्त एवं लेखा सेवा

———————

विधि और विधायी कार्य विभाग

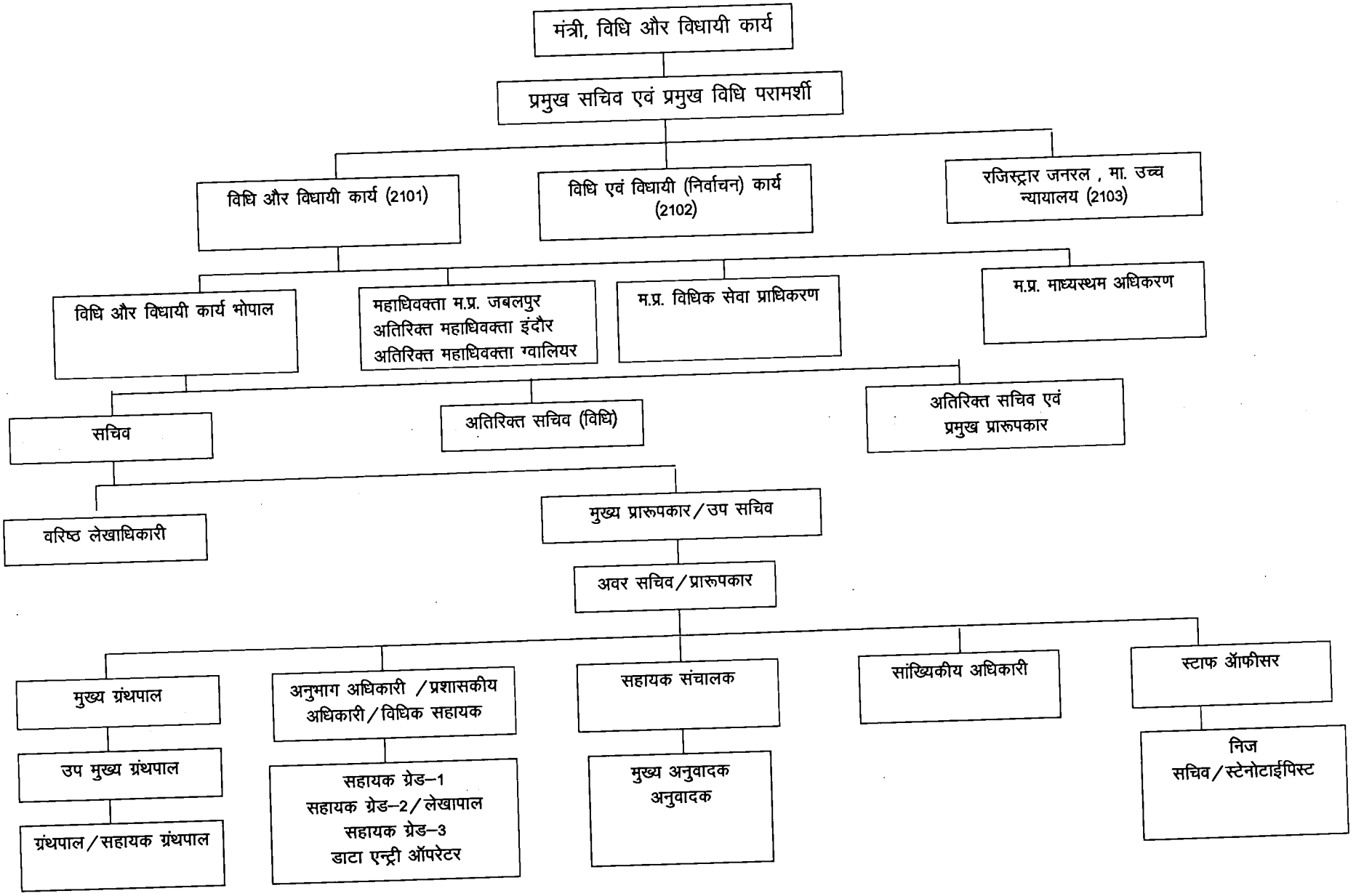

विधि विभाग नियमावली के अनुसार विधि विभाग का कार्य तीन भागों में अर्थात् 'अ', 'ब' तथा 'स' में बंटा हुआ हैः—

भाग—अ

इस विभाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा, विधीक्षा शाखा का कार्य होता है :—

प्रारूपण शाखाः— इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

विधीक्षा शाखा :— इस शाखा में शासन के विभागों से प्राप्त नियमों, विनियमों, उपविधियों, आदेशों, अधिसूचनाओं आदि अधीनस्थ विधान के अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन किया जाता है।

भाग—ब

इस शाखा में न्याय प्रशासन से संबंधित कार्य होता हैः—

उच्च न्यायालय के न्यायाधिपतिगण को छोड़कर रजिस्ट्री में पदस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति, न्यायालयों की स्थापना तथा शासकीय अधिवक्ताओं एवं विशेष अधिवक्ताओं के पदों पर नियुक्ति का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है. यह शाखा मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की प्रशासकीय शाखा के रूप में कार्य करती है।

भाग—स (1)

इस भाग में मुख्य रूप से उच्च्तम न्यायालय/उच्च न्यायालय/प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणों के अभियोजन एवं प्रतिरक्षण का कार्य होता है। इस भाग में बंदियों की दया याचिका, समय पूर्व मुक्ति प्रकरणों की वापसी एवं शासकीय सेवकों के विरूद्ध अभियोजन का कार्य भी किया जाता है।

सामान्यतः उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरणों में शासन की ओर से महाधिवक्ता सहित विधि अधिकारीगण पैरवी करते है।

सुप्रीम कोर्ट में तीन स्टेंडिंग कौंसिल राज्य के लिये नियुक्त है तथा विभिन्न कनिष्ठ एवं वरिष्ठ पैनल में नियुक्त अधिवक्ताओं से भी पैरवी कराई जाती है। नई दिल्ली में इस विभाग का उप कार्यालय स्थापित किया गया है, जो प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करता है।

भाग—स (2)

परामर्श शाखा.— इस शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरणों में मत देने का कार्य किया जाता है. उप सचिव स्तर से सचिव स्तर तक प्रकरण का परीक्षण किया जाकर, प्रमुख विधि परामर्शी स्तर पर अभिमत दिया जाता है।

विभाग के अधीन सेवाओं के नाम

1. मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा
2. राज्य विधिक सेवा,
3. विभाग के अधीन तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा,

विधि विभाग के अधीन कार्यरत बोर्ड एवं अधिकरण

1. मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
2. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण,

विभाग द्वारा प्रशासित अधिनियम और नियम

1. मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय अधिनियम, 1958
2. न्यायालय फीस अधिनियम, 1870
3. वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1887
4. भारतीय दण्ड संहिता, 1860
5. हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955
6. हिन्दू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956
7. हिन्दू दत्तक तथा भरण—पोषण अधिनियम, 1956
8. हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956
9. विशेष विवाह अधिनियम, 1954
10. पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम, 1936
11. विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869
12. मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम, 1939

13. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866
14. भारतीय क्रिश्चियन विवाह अधिनियम, 1872
15. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925
16. सम्पत्ति अंतरण अधिनियम, 1882
17. भारतीय संविदा अधिनियम, 1872
18. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932
19. विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963
20. प्रांतीय दिवाला अधिनियम, 1920
21. भारतीय न्यास अधिनियम, 1882
22. शासकीय न्यासी अधिनियम, 1913
23. महाप्रशासक अधिनियम, 1963
24. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872
25. शपथ अधिनियम, 1969
26. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908
27. मध्यप्रदेश समाज के कमजोर वर्गो के लिए राज्य विधिक सलाह अधिनियम, 1976
28. अधिवक्ता अधिनियम, 1961
29. नोटरी अधिनियम, 1952
30. न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971
31. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973
32. दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1932
33. माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996
34. परिसीमा अधिनियम, 1963
35. मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983
36. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987
37. अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983

अध्याय–दो
बजट
बजट अनुभाग

वित्त वर्ष 2015–16 में विभाग को ***मांग संख्या 29***–विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित हैः–

(आंकड़े हजार में)

संक्षिप्त विवरण	बजट अनुमान वर्ष 2015–2016		
	आयोजनेत्तर	आयोजना	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
एक– राजस्व अनुभाग			
2014 न्याय प्रशासन			
(102) उच्च न्यायालय	7,40,24	1,00,00	8,40,24
(भारित)	83,32,56	0	83,32,56
(105) सिविल और सत्र न्यायालय	4,88,00,85	6,00,00	4,94,00,85
(भारित)	2	0	2
(114) विधि सलाहकार और परामर्शदाता	19,12,49	25,00	19,37,59
(भारित)	1	0	1
(800) अन्य व्यय	38,05,46	0	38,05,46
योग–लेखाशीर्ष 2014(मतदेय)	**5,52,59,14**	**7,25,00**	**5,59,84,14**
(भारित)	**83,32,59**	**0**	**83,32,59**
2015–निर्वाचन			
(102) निर्वाचन अधिकारी	24,40,65	0	24,40,65
(103) निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण	62,57,00	0	62,57,00
(105)संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	12,57,52	0	12,57,52
(106) राज्य संघ राज्य क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	8,23,62	0	8,23,62
(भारित)	20,10	0	20,10
(108)मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	25,09,00	0	25,09,00
योग लेखाशीर्ष 2015 (मतदेय)	**1,32,87,79**	**0**	**1,32,87,79**
(भारित)	**20,10**	**0**	**20,10**

2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
(090) सचिवालय	12,32,41	2,50,00	14,82,41
(091) संलग्न कार्यालय	3,24,65	0	3,24,65
योग—लेखाशीर्ष 2052(मतदेय)	**15,57,06**	**2,50,00**	**18,07,06**
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
(60) अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम			
(200) अन्य कार्यक्रम	14,00,00	3,53,00	17,53,00
योग लेखाशीर्ष 2235(मतदेय)	14,00,00	3,53,00	17,53,00
योग एक राजस्व अनुभाग(मतदेय)	**7,15,03,99**	**13,28,00**	**7,28,31,99**
(भारित)	**83,52,69**	**0**	**83,52,69**
दो—पूंजी अनुभाग			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
(202)—मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम	50,00	0	50,00
योग लेखा शीर्ष—7610(मतदेय)	**50,00**	**0**	**50,00**
योग—पूंजी अनुभाग	**50,00**	**0**	**50,00**
योग मांग संख्या—29—न्याय प्रशासन(मतदेय)	**7,15,53,99**	**13,28,00**	**7,28,81,99**
(भारित)	**83,52,69**	**0**	**83,52,69**

वित्त वर्ष 2015—16 में विभाग को ***मांग संख्या 41***—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित हैः—

एक— राजस्व अनुभाग

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
0102—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना			
(5136)—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	78,00	0	78,00
योग लेखा शीर्ष—2235(मतदेय)	**78,00**	**0**	**78,00**

वित्त वर्ष 2015—16 में विभाग को ***मांग संख्या 64***—अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत निम्नानुसार राशि आवंटित हैः—

एक— राजस्व अनुभाग

2225—अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
01—अनुसूचित जातियों का कल्याण	28,09,00	0	28,09,00
योग लेखा शीर्ष—2225(मतदेय)	28,09,00	0	28,09,00
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
0103—अनुसूचित जाति उपयोजना			
(5136)—राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुदान	58,96	0	58,96
योग लेखा शीर्ष—2235(मतदेय)	**58,96**	**0**	**58,96**
योग एक—राजस्व अनुभाग	**28,67,96**	**0**	**28,67,96**
योग विभाग—21			

वित्त वर्ष 2015—16 के दौरान बजट अनुभाग द्वारा निम्नलिखित उल्लेखनीय कार्य किये गये हैः—

1. म0प्र0 विधान सभा की लोक लेखा समिति, 2012—13 के 165वें प्रतिवेदन (वर्ष 2000—01 में प्रावधान से आधिक्य व्यय का नियमन) के पालन में वित्त विभाग द्वारा नियमित करायी गयी राशि की कार्यवाही से संसदीय कार्य विभाग को अवगत कराया गया। (असाधारण राजपत्र क्रमांक 64, दिनांक 31.01.2014)

2. भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष का प्रतिवेदन के अध्याय—3 की कंडिका—3.2 स्वायत्व निकायों के लेखाओं /पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुति में विलंब के परिपालन में म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित वार्षिक लेखे विधान सभा के पटल पर रखने हेतु 428 प्रतियों में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत विधान सभा को प्रेषित किये गये।

3. मंत्रि—परिषद आदेश आयटम क्रं. 25 दिनांक 17 जुलाई 2007 में अभिभाषक संघों के पुस्तकालय हेतु विधि मंत्रीजी को रूपये 25,000/— तथा मुख्यमंत्रीजी को रूपये 50,000/— तक अनुदान स्वीकृत करने की वित्तीय शक्तियों को बढ़ाकर मंत्रि—परिषद आदेश आयटम क्रं. 11 दिनांक 23, जून 2015 में अभिभाषक संघों के पुस्तकालय हेतु विधि मंत्रीजी को रूपये 50,000/— तथा मुख्यमंत्रीजी को रूपये 1,00,000/— तक अनुदान वृद्धि करते हुए स्वीकृत करने की वित्तीय शक्तियां प्रदान की गयी।

4. वित्त वर्ष 2015—16 हेतु अभिभाषक संघ के पुस्तकालयों के लिये पुस्तके क्रय करने हेतु रू. 10,00,000/— का प्रावधान किया गया है जिसमें 31 दिसम्बर 2015 तक अभिभाषक संघो को निम्नानुसार अनुदान प्रदाय किया गया हैः—

क्रं.	अभिभाषक संघ का नाम	राशि
01	जिला अभिभाषक संघ, जबलपुर	25000/-
02	जिला अभिभाषक संघ, झाबुआ	25000/-
03	अभिभाषक संघ, जीरापुर जिला राजगढ़	25000/-
04	अभिभाषक संघ, सेवढ़ा जिला दतिया	25000/-
05	जिला अभिभाषक संघ, कटनी	25000/-
06	अभिभाषक संघ, बैरसिया, जिला भोपाल	25000/-
07	अभिभाषक संघ, सारंगपुर जिला राजगढ़	25000/-
08	अभिभाषक संघ, गोहद जिला भिण्ड	25000/-
09	जिला अभिभाषक संघ, रतलाम	25000/-
10	जिला अभिभाषक संघ, उज्जैन	25000/-
11	अभिभाषक संघ, खेतिया जिला बड़वानी	25000/-
12	जिला अभिभाषक संघ, रीवा	25000/-
13	जिला अभिभाषक संघ, उच्च न्यायालय ग्वालियर	25000/-
14	अभिभाषक संघ, अंजड़ जिला बड़वानी	25000/-
15	जिला अभिभाषक संघ, पन्ना	25000/-
16	अभिभाषक संघ, तराना जिला उज्जैन	25000/-
17	जिला अभिभाषक संघ, बुरहानपुर	25000/-
18	अभिभाषक संघ, मऊगंज जिला रीवा	25000/-
19	जिला अभिभाषक संघ, मण्डला	25000/-
20	जिला अभिभाषक संघ, छिंदवाड़ा	25000/-
21	जिला अभिभाषक संघ, खण्डवा	25000/-
22	जिला अभिभाषक संघ, रायसेन	25000/-
23	अभिभाषक संघ, हटा जिला दमोह	25000/-
24	जिला अभिभाषक संघ, राजगढ़ (ब्यावरा)	25000/-
25	अभिभाषक संघ, महेश्वर जिला खरगौन	25000/-
26	जिला अभिभाषक संघ, गुना	25000/-
27	अभिभाषक संघ, बैगमगंज जिला रायसेन	25000/-
28	अभिभाषक संघ, त्यौंथर जिला रीवा	25000/-
29	जिला अभिभाषक संघ, नीमच	25000/-
30	अभिभाषक संघ, विजयपुर जिला श्योपुर	25000/-
31	अभिभाषक संघ, ब्यावरा जिला राजगढ़	25000/-
32	अभिभाषक संघ, बड़नगर जिला उज्जैन	25000/-

33	अभिभाषक संघ, हरसूद जिला खण्डवा	25000/-
34	अभिभाषक संघ, गैरतगंज जिला रायसेन	25000/-
35	अभिभाषक संघ, सांवेर जिला इंदौर	25000/-
36	अभिभाषक संघ, जावद जिला नीमच	25000/-
37	अभिभाषक संघ, बावई जिला होशंगाबाद	25000/-
38	जिला अभिभाषक संघ, विदिशा	25000/-
39	अभिभाषक संघ, खनियाधाना जिला शिवपुरी	50000/-
	योग	10,00,000/-

अध्याय–तीन

कार्य एवं उपलब्धियाँ

न्यायिक शाखा (एक)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के लिये उच्च न्यायालय, जबलपुर में स्थित है। उच्च न्यायालय, जबलपुर की खण्डपीठ, ग्वालियर तथा इंदौर में है। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में माननीय न्यायाधिपतिगण के 53 पद स्वीकृत है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अनुसार राज्य में स्थापित सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण करने की शक्ति उच्च न्यायालय को प्राप्त है। राज्य में जिला न्यायालय, सिविल न्यायालय के अतिरिक्त दंड न्यायालयों के रूप में सेशन न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायालय, द्वितीय श्रेणी के न्यायालय तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट के न्यायालय कार्यरत है। विशेष अधिनियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों का निराकरण किये जाने के लिए विशेष न्यायालय जैसेः–भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, स्वापक एवं मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम, भारतीय विद्युत अधिनियम, म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम, सती प्रथा निवारण अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराधों का विचारण किये जाने के लिए विशेष सेशन न्यायाधीश के न्यायालय स्थापित किए गए हैं। रेल्वे अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों का निपटारा किये जाने के लिए विशेष मजिस्ट्रेट के न्यायालय, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत स्थापित न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय पृथक से स्थापित है। ऐसे न्यायालयों के अतिरिक्त कुछ अन्य न्यायालय भी विशेष मामलों के निराकरण के लिए राज्य में कार्यरत है।

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 6 नवीन न्यायालय भवनों हेतु प्रशासकीय स्वीकृति एवं 15 न्यायालय भवनो की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

प्रदेश के 50 सिविल जिलों में सी.आर.पी.सी. 1973 की धारा–9 के अंतर्गत रेप, गैंगरेप, मर्डर के साथ रेप तथा महिला उत्पीड़न से संबंधित मामलों के शीघ्र निराकरण हेतु अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को पदाभिहित किया गया है।

प्रदेश के वर्तमान में 50 सिविल जिलों मे कुल 58 (अट्ठावन) कुटुम्ब न्यायालय स्थापित है।

सिविल जज वर्ग–2 (प्रवेश स्तर) के 57 पदों हेतु उम्मीद़वारो का चयन किया गया है जिसमें से 12 उम्मीद़वारों की नियुक्ति की जा चुकी है, शेष 47 उम्मीद्वारो की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है।

अपर जिला न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के 04 पदों पर चयनित उम्मीद्वारो की नियुक्ति की जा चुकी है, शेष 05 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

नवीन राजस्व जिला आगर–मालवा को सिविल जिला घोषित किए जाने के लिये आवश्यक मूलभूत सुविधाये उपलब्ध कराई जाना है जिसके अंतर्गत जिला न्यायाधीश/अपर जिला न्यायाधीश/ सिविल न्यायाधीश वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के पद तथा न्यायालयीन अमले के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदो का सृजन किया गया है।

उच्च न्यायालय एवं अधिनस्थ न्यायालयो के कोर्ट मेनेजर के 54 नियमित पदो का सृजन किया गया है।

न्यायिक शाखा (दो)

न्यायिक शाखा–दो में माननीय उच्चतम न्यायालय में स्थाई अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पैनल अधिवक्ताओं के संबंध में नियुक्ति की जाती है, इसके साथ ही म.प्र. के सम्पूर्ण जिलों में शासकीय अभिभाषक/अति.शासकीय अभिभाषको के पदों पर नियुक्ति की जाती है, साथ ही नोटरी नियुक्ति एवं नोटरी नवीनीकरण से संबंधित कार्य तथा माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा अधिवक्ता पंचायत में की गई घोषणाओं के संबंध में कार्य सम्पादित किया जाता है, इसके साथ ही विधानसभा एवं विधानसभा प्रश्नों एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24 (8) के संबंध में अधिवक्ताओं की नियुक्ति विशेष लोक अभियोजक के रूप में की जाती है एवं साथ ही विशेष न्यायालय (ऐट्रोसिटीज) मे पैरवी करने हेतु विशेष लोक अभियोजक तथा विशेष न्यायालयों के लिए विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ता को नियुक्ति किये जाने के संबंध में कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

माननीय उच्चतम न्यायालय में अति.वरिष्ठ अधिवक्ता—06, वरिष्ठ अधिवक्ता—12, स्थाई अधिवक्तागण—03 एवं 01 अधिवक्ता ग्रीन ट्रिब्यूनल तथा कनिष्ठ अधिवक्ता के रूप में 65 अधिवक्ता म.प्र.शासन द्वारा नियुक्त किये गये है।

माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ, जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में अतिरिक्त महाधिवक्ता, शासकीय अधिवक्ता एवं उपशासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति म.प्र. शासन द्वारा की गयी है।

विधानसभा सचिवालय से वर्ष 2015—16 मे कुल 43 अतारांकित/तारांकित प्रश्न प्राप्त हुए जिसका निराकरण करते हुए विधानसभा सचिवालय को जानकारी समय पर उपलब्ध करायी गयी।

वकील पंचायत मे माननीय मुख्यमत्रीजी द्वारा की गयी घोषणा क्रमांक—2470 ''अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012'' के अंतर्गत मृत 445 अधिवक्ता के आश्रितों को प्रत्येक को राशि रू. 1,00,000/— क्षतिपूर्ति के मान से कुल क्षतिपूर्ति राशि 4,45,00,000/— रूपये राज्य शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है एवं घोषणा क्रमांक—2471 ''अधिवक्ता कल्याण स्कीम 2012'' के अंतर्गत गंभीर बिमारियों से पीड़ित अधिवक्ताओं को रू. 1.00 करोड का अनुदान दिया गया है।

दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 24(8) के अंतर्गत सत्र प्रकरणों में तीन अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया हैं।

विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) में पैरवी करने हेतु 34 अधिवक्ताओं को विशेष लोक अभियोजक तथा 10 जिलों में उपसंचालक लोक अभियोजन को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किया गया है, तथा 29 विशिष्ठ ज्येष्ठ अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गयी है।

वर्ष 2015 मे 14 शासकीय अभिभाषक एवं 56 अतिरिक्त शासकीय अभिभाषकों की नियुक्ति राज्य शासन द्वारा की गयी है।

जिला स्तर पर नोटरी की नियुक्ति के प्रस्ताव प्राप्त हो रहे है, जिन पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर राज्य शासन द्वारा नोटरी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जावेगी, कार्यवाही प्रचलन मे है।

नोटरी नवीनीकरण के संबंध में तहसील/जिले हेतु कुल 274 नोटरीयों का नवीनीकरण राज्य शासन द्वारा किया जा चुका है।

प्रारूपण शाखा

इस भाग में मुख्यतः प्रारूपण शाखा एवं विधीक्षा शाखा का कार्य होता हैः—

प्रारूपण शाखाः—

इस शाखा में विधान सभा में प्रस्तुत होने वाले विधेयकों का परिमार्जन अंग्रेजी में करना, विधान सभा में पारित विधेयकों को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करना तथा राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किये जाने वाले अध्यादेश परिमार्जन करना तथा प्रकाशित करने का कार्य किया जाता है।

2. प्रारूपण शाखा में निम्नानुसार महत्वपूर्ण कार्य भी किया जाता हैः—

(1) संविधान संशोधन विधेयक संसद द्वारा पारित होने पर उसके अनुसमर्थन का संकल्प राज्य विधान सभा से पारित कराना।

(2) विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को राज्यपाल की अनुमति हेतु भेजने का कार्य।

(3) राज्य विधेयकों, अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन।

(4) विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजने के लिए भारत सरकार से पत्र व्यवहार।

(5) राजपत्र में छपने वाले अधिनियमों एवं अध्यादेशों के त्रुटिपूर्ण पाठ का शुद्धि—पत्र बनाने का कार्य।

(6) केन्द्रीय अधिनियमों एवं अध्यादेशों का मध्यप्रदेश राजपत्र में पुनर्प्रकाशन का कार्य।

3. 31 दिसम्बर, 2015 तक विभिन्न विभागों के निम्न विधेयकों एवं अध्यादेशों के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं उनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराये गये—

अध्यादेश	—	10
विधेयक	—	34

4. वर्ष 2015 में कुल 06 अध्यादेश प्रख्यापित किये गये ।

5. वर्ष 2015 में कुल 24 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किए गए तथा 31 दिसम्बर, 2015 तक 23 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके हैं।

6. वर्ष 2015 तक की स्थिति में निम्नलिखित विधेयक राष्ट्रपति महोदय की अनुमति हेतु भारत सरकार में लंबित है :—

1. मध्यप्रदेश आतंकवादी एवं उच्छेदक गतिविधियां तथा संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2010 (क्रमांक 03 सन् 2010)
2. मध्यप्रदेश कपास बीज (पूर्ति, वितरण एवं विक्रय का विनियमन तथा विक्रय मूल्य का निर्धारण) विधेयक, 2010 (क्रमांक 22 सन् 2010)
3. दण्ड विधि (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2014 (क्रमांक 18 सन् 2014)

पुस्तकालय शाखा

म0प्र0 शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग का पुस्तकालय विधि पुस्तकों के क्षेत्र में राज्य का सबसे बड़ा विभागीय पुस्तकालय है। पुस्तकालय में लगभग एक लाख से ज्यादा विभिन्न प्रकार की विधि पुस्तकों एवं पत्रिकाओं का समावेश है। शाखा में विशेषतः मध्यभारत, विन्ध्यप्रदेश, इन्दौर, ग्वालियर, होलकर राज्य तथा सी.पी. एण्ड बरार एवं भोपाल रियासत के पुराने साहित्य का भी संकलन उपलब्ध है। यहां पर भारत का राजपत्र तथा मध्यप्रदेश का राजपत्र 1958 से उपलब्ध है।

पुस्तकालय शाखा द्वारा विधि परामर्शी के कार्यो हेतु व अन्य नस्तीयों के निराकरण हेतु पुस्तकों का आदान–प्रदान किया जाता है। विभाग के अलावा अन्य विभागों, अधिकरण आदि को संदर्भ सेवा प्रदाय की जाती है। इसके साथ ही म.प्र. राज्य के तथा केन्द्र के मूल अधिनियमों तथा नियमो पर समय–समय पर किये गये संशोधन यथास्थान लगाने का कार्य मुख्य रूप से होता है। शाखा द्वारा मध्यप्रदेश अधिनियमों का इंडेक्स कम्प्यूटर पर कम्प्यूटर में तैयार किया जा रहा है। विभाग के पुस्तकालय को ई–ग्रंथालय बनाए जाने हेतु पुस्तकों की प्रविष्टियां एन.आई. सी. से प्राप्त साफ्टवेयर में की जा रही है।

पुस्तकालय को अद्यतन बनाने के लिए लगभग 23 प्रकार की विधि पत्रिकाएं क्रय की जाती है तथा अद्यतन विधि पुस्तकें समय–समय पर पुस्तक चयन समिति के माध्यम से क्रय की जाती है।

अभियोजन शाखा

अभियोजन शाखा वर्ष 2015 का वार्षिक प्रतिवेदन की जानकारी

लोकायुक्त/राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो/एस.टी.एफ. एवं सी.बी.आई. से संबंधित अभियोजन स्वीकृति के कुल 409 प्रकरण प्राप्त हुये, जिन्हें संबंधित प्रशासकीय विभागों को भेजे गये हैं।

प्रशासकीय विभाग/जिले/प्रायवेट से संबंधित प्रकरणों की जानकारी

वर्ष 2015 में प्रशासकीय विभाग/जिले/प्रायवेट आवेदन से संबंधित 68 प्रकरण प्राप्त हुये, जो प्रशासकीय विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे गये हैं।

प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित प्रकरणों की जानकारी

दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत प्रकरण प्रत्याहरण से संबंधित 32 प्रकरण अभिमत हेतु प्राप्त हुये। सभी 32 प्रकरणों में अभिमत दिया गया है।

बंदियों से संबंधित प्रकरणों की जानकारी

जेल मेन्यूअल के नियम 361—362 एवं 775 के अतर्गत समयपूर्व मुक्ति हेतु कुल 15 प्रकरण प्राप्त हुये। सभी 15 प्रकरणों में अभिमत दिया गया है।

मत शाखा

मत शाखा द्वारा विभिन्न विभागों से विधिक परामर्श हेतु प्राप्त प्रकरण में मत देने का कार्य किया जाता है। प्रमुख सचिव, सचिव, अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त प्रकरणें पर परीक्षण किया जाकर प्रमुख सचिव (विधि परामर्शी) स्तर पर अंतिम मत दिया जाता है। परिमार्जन हेतु विधीक्षा शाखा से प्राप्त नस्तियों में भी आवश्यक विधिक मत, शाखा द्वारा प्रदान किये जाते है।

मत शाखा में शासन के विभिन्न विभागों, मंत्रालय से 1 जनवरी, 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक कुल 440 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 436 प्रकरणों में अभिमत दिया जाकर संबंधित विभागों को भेजे गये हैं, तथा शेष 04 प्रकरणों मे अभिमत दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

अनुवाद शाखा (मुख्य विधायन)

मध्यप्रदेश विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने वाले विधेयकों, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किए जाने वाले अध्यादेशों के हिन्दी अनुवाद तैयार करना तथा उनके शुद्धि—पत्र बनाने आदि का कार्य इस शाखा द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त राज्यपाल को प्रस्तुत दया याचिकाओं और मध्यप्रदेश विधानसभा में प्रस्तुत अशासकीय विधेयकों के अंग्रेजी पाठ तैयार करने का कार्य भी इस शाखा को सौंपा गया है।

31 दिसंबर, 2015 तक विभिन्न विभागों के 10 अध्यादेश एवं 34 विधेयकों के हिन्दी पाठ के प्रारूपों का परीक्षण किया गया एवं इनके परिमार्जित प्रारूप प्रशासकीय विभागों को उपलब्ध कराए गए।

वर्ष 2015 में कुल 06 अध्यादेश प्रख्यापित किए गए।

वर्ष 2015 में कुल 24 विधेयक विधान सभा में प्रशासकीय विभागों द्वारा पुरःस्थापित किये गये तथा 31 दिसम्बर, 2015 तक 23 अधिनियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुके है।

हिन्दी विधायी समिति शाखा

मध्यप्रदेश शासन हिन्दी विधायी समिति शाखा को, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, मध्यप्रदेश के मूलतः अंग्रेजी में पारित अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश की घटक इकाइयों में प्रवृत्त अधिनियमों तथा मध्यप्रदेश पर विस्तारित तथा मध्यप्रदेश द्वारा संशोधित/समायोजित

केन्द्रीय अधिनियमों के प्राधिकृत हिन्दी पाठ तैयार करने और उनका राजपत्र में पुनः प्रकाशन करने का कार्य सौंपा गया है। हिन्दी विधायी समिति शाखा के द्वारा केन्द्रीय अधिनियमों के हिन्दी अनुवाद का मध्यप्रदेश के राजपत्र में पुनः प्रकाशन कराया जाता है।

विधीक्षा शाखा (हिन्दी) (अधीनस्थ विधायन)

इस शाखा में अधीनस्थ विधायन के अंतर्गत नियमों, अधिसूचनाओं, उपविधियों, विनियमों, आदेशों तथा भर्ती नियमों के हिन्दी परिमार्जन/अनुवाद का कार्य किया जाता है।

1 जनवरी, 2015 से 31 दिसंबर, 2015 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त कुल 139 आदेशों/अधिसूचनाओं/ नियमों/भर्ती नियमों का परीक्षण कर उनका परिमार्जित हिन्दी पाठ अनुवाद सहित उपलब्ध कराया गया है।

विधीक्षा शाखा

इस शाखा में मुख्य रूप से प्रत्यायोजित विधान से संबंधित कार्य होता है। इसके अंतर्गत प्रशासकीय विभाग से प्राप्त नियमों, विनियमों, आदेशों, उप विधियों एवं अधिसूचनाओं के प्रारूपों के अंग्रेजी पाठ का परिमार्जन किया जाता है तथा परिमार्जन पश्चात् नस्ती हिन्दी एवं अंग्रेजी पाठ सहित प्रशासकीय विभाग को वापस की जाती है।

वर्ष 2015 में कुल 467 प्रकरण प्राप्त हुए थे जिनमें से 457 प्रकरणों में अंग्रेजी प्रारूपों का परिमार्जन कर उनके हिन्दी अनुवाद के साथ नस्ती संबंधित प्रशासकीय विभागों को वापस की जा चुकी है तथा शेष 05 प्रकरणों में अनुवाद का कार्य चल रहा है और 05 प्रकरणों में अंग्रेजी परिमार्जन की कार्यवाही की जा रही है।

स्थापना शाखा

1. मध्य प्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियम के अनुसार इक्कीस–विधि और विधायी कार्य विभाग में म.प्र. राज्य विधिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2010, म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम 2010 तथा म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1978 में शामिल सेवाऐं, संवर्ग पद का प्रशासन किया जाता है। उपरोक्त पदों पर नियुक्तियॉं, पदस्थापनाएं, स्थानांतरण, वेतन, अवकाश, अवकाश नगदीकरण, प्रतिनियुक्तियॉं, पदोन्नतियॉं, समयमान, भविष्य निधियों, प्रशिक्षण, दण्ड तथा अभ्यावेदन इत्यादि विषयों से संबंधित कार्यवाही की जाती है।

2. कार्यालय में शासकीय सेवकों की उपस्थिति के लिए पेपरलेस बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग चालू कराया गया है।

3. विधि विभाग का कार्य कम्प्यूटर पर किए जाने के लिए MAP_IT संस्था से 110 शासकीय सेवकों को कम्प्यूटर में प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षित किया गया है। समस्त शासकीय सेवक प्रशिक्षण में उत्तीर्ण हुए।

4. शासकीय सेवकों हेतु आकस्मिक अवकाश/ऐच्छिक अवकाश एवं अन्य अवकाश के आवेदन तथा उनकी रिपोर्टिंग, स्वीकृत एवं लेखांकन को पूर्णतः पेपर लेस (कम्प्यूटराईज) किया गया।

5. फाईलों की आवक–जावक को मैनुअल रजिस्टर पंजी से पूर्णतः हटाते हुए पेपर लेस आवक–जावक को आनलाईन कर फाईल ट्रेकिंग मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है। विधि विभाग द्वारा कार्यवाही उपरांत संबंधित विभागों को भेजे जाने वाली फाईलें, पत्र, आदेश इत्यादि को स्थायी पंजी नंबर पर पूर्ण कार्यवाही होने के उपरांत ही संबंधित विभाग प्रमुख को SMS भी स्वतः प्रेषित किया जाता है।

6. कार्यालय के समस्त शासकीय सेवकों को स्वयं की वेतन पर्ची प्राप्त किए जाने के लिए MP Treasury की Website से लिंक उपलब्ध कराया गया है।

7. विभाग के सभी शासकीय सेवकों के NIC सर्वर पर आधिकारिक ई–मेल बनाये गए तथा विभाग के लिए File Traking Portal पर नोटिस बोर्ड की सुविधा उपलब्ध करायी गई है, जिस पर विभाग के सर्कुलर, आदेश आदि जारी होने के दिनांक पर आन लाईन एवं संबंधित के ई–मेल पर उपलब्ध रहते हैं।

8. विभाग से सेवा निवृत्त 14 शासकीय सेवकों को संभागीय पेंशन भुगतान अधिकारी से पेंशन प्राधिकृत आदेश, ग्रेच्युटी आदेश जारी कराकर सेवा निवृत्त तिथि को ही प्रदान कराये गए हैं।

9. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके पात्रतानुसार 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले समस्त पात्र 64 शासकीय सेवकों को नियमानुसार समयमान–वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी आदेश जारी किए गए।

10. विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करके 38 शासकीय सेवकों को पदोन्नति नियमों के अंतर्गत पात्रतानुसार पदोन्नति प्रदान की गई।

11. विधि विभाग में 29 अस्थायी पदों का प्रवर्तन करने हेतु मंत्री–परिषद का आदेश दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त कर 28 फरवरी 2020 तक उन्हें प्रवर्तित किया गया।

12. विधि विभाग के 6 शासकीय सेवकों पर विभागीय जांच प्रचलित है एवं 12 शासकीय सेवकों के प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

13. समस्त संवर्ग/सेवा हेतु पदक्रम सूची (प्रावधिक) 01.01.2016 की स्थिति में जारी की गयी।

14. (अ)''मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि—2012'' के अंतर्गत 445 मृत अधिवक्ता के आश्रितों को अनुदान राशि रू. 4.45 करोड़ (चार करोड़ पैंतालीस लाख) का ई—भुगतान करते हुए ऐसे प्राप्त समस्त प्रकरणों का निराकरण किया गया।

(ब)''मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि—2012'' के अंतर्गत कुल 1962 नवीन अधिवक्ताओं को रू. 12,000/— प्रति अधिवक्ता के मान से फर्नीचर हेतु 2,35,44,000/— (दो करोड़ पैंतीस लाख चवालीस हजार) का ई—भुगतान किया गया।

(स)''मुख्यमंत्री अधिवक्ता कल्याण निधि—2012'' के अंतर्गत गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ताओं को इलाज हेतु शत—प्रतिशत अनुदान राशि रू. 1.00 करोड़ (एक करोड़) का ई—भुगतान किया गया।

इस प्रकार कुल राशि रू. 7,80,44,000/— (सात करोड़ अस्सी लाख चवालीस हजार) का ई—भुगतान किया गया।

15. जिला अभिभाषक संघों को पुस्तकालय हेतु पुस्तकें क्रय करने के लिए शत—प्रतिशत कुल 33 अभिभाषक संघों को अनुदान राशि रू. 8,50,000/— (आठ लाख पचास हजार) का ई—भुगतान किया गया।

16. मध्य प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधि सहायता तथा विधिक सलाह उपलब्ध कराने हेतु संचालित मांग संख्या—29, मांग संख्या—41 एवं मांग संख्या—64 के अंतर्गत विभिन्न 8 मदों में शत—प्रतिशत राशि रू. 15,93,23,000/— (पंद्रह करोड़ तिरानवे लाख तैईस हजार) की अनुदान राशि का ई—भुगतान किया गया।

याचिका शाखा

याचिका शाखा में निम्नानुसार कार्य संपादित किये जाते है :—

माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियर में राज्य शासन द्वारा या शासन के विरूद्ध प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से प्रतिरक्षण करने की कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा राज्य शासन के विरूद्ध पारित निर्णयों के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका के संबंध में समुचित कार्यवाही तथा ऐसी कार्यवाही करने के संबंध में प्रशासकीय विभाग की ओर से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर मत दिया जाता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय मे राज्य शासन की ओर से तथा राज्य शासन के विरूद्ध प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी करना तथा उच्चतम न्यायालय में फीस आदि का भुगतान करने की कार्यवाही सम्पादित की जाती है।

वित्त वर्ष 1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 में निम्नानुसार कार्य सम्पन्न किये गयेः—

शाखा में प्राप्त कुल प्रकरण	प्रकरणों का विवरण	लंबित प्रकरण	निपटाये गये प्रकरण
1.	**माननीय उच्चतम न्यायालय में की गई कार्यवाही का विवरणः**		
	क— विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई	255	निल
	ख— वरिष्ठ अधिवक्ता की नियुक्ति की गई	19	निल
2.	**माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर एवं ग्वालियरः**		
	क— अवमानना प्रकरणों में प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ता नियुक्त किये गये,	103	निल
	ख— जिन प्रकरणों में पुर्नविलोकन याचिकाएं एवं प्रस्तुत रिट अपील हेतु आदेश जारी किये गये	262	निल
	ग— जिन प्रकरणों में विधि सम्मत अभिमत दिये जाने के उपरांत नस्तियाँ लौटाई गई,	131	निल
	घ— जिन प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये (याचिकाऐं),	7842	निल
3.	**छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय एवं अन्य राज्यों के उच्च न्यायालयें में प्रतिरक्षण हेतु प्रशासकीय विभागों से प्राप्त प्रकरणः**		
	क— जिन प्रकरणों मे अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये,	78	निल
	ख— केवियट दायर करने के संबंध में महाधिवक्ता म.प्र. को निर्देश जारी,	06	निल
4.	**केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में प्रस्तुत प्रकरणः** राज्य सरकार की ओर से प्रभावी प्रतिरक्षण किये जाने हेतु अधिवक्ताओं की नियुक्ति आदेश जारी किये गये,	07	निल
5.	**शासकीय अधिवक्ताओं को फीस का भुगतानः** समय—समय पर प्रकरण में अधिवक्ताओं की फीस के भुगतान की कार्यवाही की गई,	178	निल
6.	**विविध एवं अन्य प्रकरणों की संख्या**	**2404**	निल
	कुल योग—	**11285**	**निरंक**

सभी प्रकरणों का निराकरण किया गया।

सिविल शाखा

सिविल शाखा में मुख्य रूप से विभिन्न न्यायालयों/अधिकरण में लंबित सिविल मामलों में अपील/रिवीजन/याचिका पेश की जाती है तथा राज्य के विरूद्ध लंबित मामलों में प्रतिरक्षण के आदेश जारी किये जाते है।

1–1–2015 से 31–12–2015 तक की अवधि में निम्न कार्य किये गये हैः–

1– उच्चतम न्यायालय के समक्ष– 200 मामलों में एस.एल.पी. पेश किये जाने के आदेश जारी किये गये।

2– माध्यस्थम अधिकरण एवं अन्य राज्यों के समक्ष 214 मामलों में प्रतिरक्षण आदेश एवं अधिवक्ता नियुक्ति आदेश जारी किये गये।

3– मान. उच्च न्यायालय जबलपुर एवं मान. उच्च न्यायालय बैंच ग्वालियर एवं इंदौर में द्वितीय अपील पुनरीक्षण, रिट याचिका एवं रिट अपील–421, पक्ष समर्थन–1214 पेश करने के आदेश जारी किये गये एवं अन्य–1963 पत्रों पर कार्यवाही कर संबंधित को प्रेषित किये गये।

आपराधिक शाखा

1 जनवरी 2015 से 31 दिसम्बर 2015 तक किये गये कार्य का विवरण निम्नानुसार हैः –

अ. उच्चतम न्यायालय के समक्ष कार्यवाहीः

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
1.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष अनुमति याचिका प्रस्तावों पर परीक्षण किया गया।	76
2.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेष अनुमति याचिकाओं/अपील प्रकरणों में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	111
3.	महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर, उप महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर/ग्वालियर से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय/आदेशों, रिपोर्ट प्रकरण जिन्हे नस्तिबद्ध किया जाना प्रस्तावित किया गया था तथा जो परीक्षण के उपरांत नस्तिबद्ध किये गये।	252

ब. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर खण्डपीठ ग्वालियर/इंदौर के समक्ष कार्यवाहीः

सरल क्रमांक	कार्य का संक्षिप्त विवरण	निराकृत प्रकरणों/नस्तियों की संख्या
4.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा अपील/दांडिक पुनरीक्षण प्रस्ताव पर परीक्षण कर आदेश जारी किये गये।	1067
5.	मध्यप्रदेश शासन के विरूद्ध उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपराधिक अपील/पुनरीक्षण/रिट याचिका में प्रतिरक्षण आदेश जारी किये गये।	56
6.	मध्यप्रदेश शासन की ओर से महाधिवक्ता कार्यालय से प्राप्त अर्द्धशासकीय एवं सूचनार्थ पत्रों पर की गई कार्यवाही।	1844
7.	स्थाई अधिवक्ताओं की फीस भुगतान के प्रकरणों पर की गई कार्यवाही।	61

भाग–एक
मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, भोपाल

विभागीय संरचनाः–

अध्यक्ष : मान. न्यायमूर्ति श्री अभय म. नाईक

सदस्यगण : (1) मान. श्री ए.के. मिश्रा (न्यायिक)
(2) मान. सुश्री सुषमा खोसला (न्यायिक)
(3) मान. श्री पी.के. वर्मा (न्यायिक)
(4) मान. श्री ओ.पी. श्रीवास्तव (तकनीकी)

रजिस्ट्रार : पद रिक्त (डिप्टी रजिस्ट्रार के पास अतिरिक्त प्रभार)

डिप्टी रजिस्ट्रार : श्री एम.एस.परिहार

अधीनस्थ कार्यालय : निरंक

विभाग के अंतर्गत आने वाले मण्डल/उपक्रम/संस्थाओं का विवरण : निरंक

विभाग के दायित्व : निरंक

विभाग से संबंधित सामान्य जानकारीः–

म.प्र. माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (अधिनियम क्रमांक 29 सन 1983) 1 मार्च, 1985 को प्रभावशील हुआ तथा उसी दिन अधिकरण का गठन हुआ। अधिनियम के अधीन विवाद से अभिप्रेत है रू. 50,000/– या उससे अधिक मूल्य के किसी दावे से संबधित कोई ऐसा विवाद जो किसी संकर्म संविदा (वर्क्स कान्ट्रेक्ट) या उसके भाग के निष्पादन या अनिष्पादन से उद्भूत हुआ हो तथा जिनका एक पक्षकार राज्य सरकार अथवा पूर्णतः या अंशतः राज्य सरकार के स्वामित्वधीन या नियंत्रणाधीन कोई लोक उपक्रम है, का निराकरण किया जाता है। अधिकरण की दो खण्डपीठें यथा खण्डपीठ 'पी' तथा खण्डपीठ 'आई' मुख्यालय भोपाल में ही संचालित हैं।

महत्वपूर्ण ऑकड़े निम्नानुसार हैंः–

वर्ष	31.12.2014 को लंबित निर्देश प्रकरणों की संख्या	वर्ष 2015 में पंजीकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	पुर्नस्थापित निर्देश प्रकरणों की संख्या	निर्देश प्रकरणों की कुल संख्या	वर्ष 2015 में निराकृत निर्देश प्रकरणों की संख्या	31.12.2014 को लंबित विविध प्रकरणों (MJC) की संख्या	वर्ष 2015 में पंजीकृत विविध प्रकरणो (MJC) की संख्या	विविध प्रकरणों (MJC) की कुल संख्या	वर्ष 2015 में निराकृत विविध प्रकरणो (MJC) की संख्या	वर्ष में पंजीकृत प्रकरणों का वाद मूल्यांकन (रू.)	दावा/प्रतिदावा में शासन को प्राप्त कुल न्याय शुल्क राशि (रू.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2015	570	155	4	729	30	23	41	64	43	8,95,30,64,834.00	1,06,52,164.00

भाग—दो
वर्ष 2015—2016 का आय व्यय बजट(एक दृष्टि में)

वर्ष	बजट आंबटन	व्यय	
2015—16	रू. 3,26,88,000.00	रू. 2,07,41,000.00 (दिसम्बर, 2015 की स्थिति में)	आयोजनेत्तर

भाग—तीन
राज्य योजनाऐं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं

(अ)	राज्य योजनाऐं	निरंक
(ब)	केन्द्र प्रवर्तित योजनाऐं	निरंक
(स)	विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली योजनाऐं	निरंक
(द)	विदेशी सहायता प्राप्त योजनाऐं/परियोजनाऐं	निरंक
(इ)	अन्य योजनाऐं	निरंक

भाग—चार
सामान्य प्रशासन विषय

(जांच समितियाँ, किए गए अध्ययन आदि अंकित किये जाए) निरंक

भाग—पांच
अभिनव योजना

(विभाग द्वारा कोई अभिनव योजना शुरू की गई हो अथवा की जाने वाली हो उसको दर्शाया जाए) निरंक

भाग—छः

(विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाये) निरंक

भाग—सात

<u>विभाग का नाम</u> :— मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 (क) के तहत सरकार का यह दायित्व है, कि वह यह सुनिश्चित करें कि कोई भी नागरिक आर्थिक या अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय पाने के अवसर से वंचित न रह पाये। उसे समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराकर सक्षम विधिक सेवा उपलब्ध कराई जायें। तदानुसार मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम,

1996 तथा मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1997 के प्रावधानानुसार समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से गरीब असहाय, पीड़ित व्यक्तियों को समानता व समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ कराने के लिये निःशुल्क विधिक सेवा (विधिक सहायता/सलाह) उपलब्ध कराई जाती है। विधिक सहायता योजना के अंतर्गत संचालित एवं क्रियान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को लाभांवित कराया जाकर उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं मुख्य संरक्षक महोदय, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार एवं माननीय कार्यपालक अध्यक्ष महोदय के कुशल मार्गदर्शन एवं दिशा–निर्देशन में समाज के कमजोर वर्ग एवं गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजनांतर्गत (विधिक सेवा–सहायता/सलाह), लोक अदालत योजना, विधिक साक्षरता शिविर एवं अन्य योजनाऐं मध्यप्रदेश राज्य में संचालित की गई है, उक्त योजनाओं का प्रचार–प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा अन्य प्रचार माध्यमों से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार कराया गया है तथा दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन कर आम जनता को कानूनी जानकारी प्रदान की गई है तथा लोगो को लाभांवित कराया गया है।

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निम्नानुसार योजनाएँ/कार्यक्रम संचालित एवं क्रियान्वित हैः–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित योजनायें एवं कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता योजना एवं उसके अंतर्गत निम्नलिखित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है :–

(अ.) विधिक सेवायें–

1. विधिक सहायता/सलाह।
2. पारिवारिक विवाद समाधन केन्द्र।
3. जिला विधिक परामर्श केन्द्र।
4. मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता।
5. लीगल एड क्लीनिक।
6. महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम।
7. श्रमिकों के विरूद्ध अपराध–प्रकोष्ठ कार्यक्रम ।
8. मीडियशन कार्यक्रम।

(ब.) लोक अदालत–

1. नेशनल लोक अदालत।
2. मेगा लोक अदालत।
3. मासिक नेशनल लोक अदालत।
4. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।
5. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22 बी) के अंतर्गत।

6. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।

7. जेल लोक अदालत।

8. प्ली–बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों का निराकरण।

9. मोबाइल लोक अदालत।

10. पारिवारिक महिला लोक अदालत।

(स.) विधिक साक्षरता।

1. विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर।
2. लघु विधिक साक्षरता शिविर।
3. मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर।
4. विवाद विहीन ग्राम योजना।
5. प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।

मध्यप्रदेश राज्य में विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उसके अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं का क्रियान्वयन निम्नानुसार चार स्तरीय व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है :–

1–	मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण	राज्य स्तर
2–	उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति	उच्च न्यायालय स्तर
3–	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण	जिला स्तर
4–	तहसील विधिक सेवा समिति	तहसील स्तर

"योजनायें एवं कार्यक्रम"

(अ.) विधिक सेवायें–

(1) विधिक सहायता एवं सलाह :–

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत कार्यरत, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समितियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा समान्य वर्ग के साथ–साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के गरीब, असहाय, पीड़ित एवं विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को उनके विरूद्ध चल रहे प्रकरण या उनके द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने वाले प्रकरणों में निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सहायता दी जाती है।

विधिक सहायता/सलाह कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है ?

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अधीन ऐसा व्यक्ति विधिक सहायता/सलाह प्राप्त कर सकता है :–

1— जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का है,
2— ऐसा व्यक्ति जो लोगों के दुर्व्यवहार से पीड़ित है या जिससे बेगार कराया जा रहा हो,
3— महिला, बालक हो,
4— ऐसा व्यक्ति जो मानसिक रूप से अस्वस्थ्य या असमर्थ है निर्योग्य है ।
निर्योग्य का तात्पर्य है :—
(क) अन्धापन, (ख) कमजोर दिखाई देना, (ग) जिसे कुष्टरोग है, (घ) कम सुनाई देना, (ड.) जो चल फिर नहीं सकता, (च) जो दिमागी रूप से बीमार हो।
5— ऐसा व्यक्ति जो बहुविनाश, जातीय हिंसा या जातीय अत्याचार से सताया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे भूकम्प, बाढ़, सूखा आदि से पीड़ित है,
6— ऐसा व्यक्ति जो औद्योगिक कर्मकार है (फैक्टरी, कम्पनी में काम करता है)
7— ऐसा व्यक्ति जो जेल में बंदी है,
8— ऐसा व्यक्ति जिसकी वर्षभर की आमदनी 1,00,000/—(रूपये एक लाख) से ज्यादा नहीं है।

किस तरह की विधिक सहायता मिलती है :—

विधिक सहायता के पात्र व्यक्ति जिसका प्रकरण अदालत में चल रहा है या चलाना चाहता है उसे मामले में लगने वाली :— 1. कोर्ट फीस, 2. तलवाना, 3. टाईपिंग/फोटोकॉपी खर्च, 4. गवाह खर्च, 5. अनुवाद कराने में लगने वाला खर्च, 6.निर्णय/आदेश तथा अन्य कागजातों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने का पूरा खर्च, 7. वकील फीस ।

उपरोक्त विधिक सेवा तहसील न्यायालय से लेकर जिला स्तर के सभी न्यायालयों/अधिकरणों, उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में प्रदान कराई जाती है।

(2) पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :—मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना, 2001'' विरचित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ा वर्ग के साथ—साथ अनुसूचित जाति वर्ग के परिवार के सदस्यों के मध्य उत्पन्न विवाद जैसे पारिवारिक सम्पत्ति, भरण पोषण, बच्चों की सुरक्षा/देखभाल आदि विवादों का निपटारा किया जाता है। इस प्रकार के पारिवारिक विवादों का निदान सद्भावपूर्ण वातावरण में आपसी समझौते के आधार पर जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्रों द्वारा कराया जाता है। इस संबंध में जिले में पदस्थ जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है। इन केन्द्रों द्वारा कराया गया समझौता गुप्त रखा जाता है, जिससे परिवार के सम्मान में ठेस नहीं पहुॅचती है।

(3) जिला विधिक परामर्श केन्द योजना :—मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना, 2001 बनाई गई है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में जिला न्यायालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में जिला विधिक परामर्श केन्द्र कार्यरत् है। जिला विधिक परामर्श केन्द्र द्वारा सभी वर्ग के व्यक्तियों के साथ—साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के ऐसे व्यक्तियों को जो अशिक्षा व अज्ञानता के कारण अपने कर्तव्य व अधिकार नहीं जानते तथा अपने कानूनी एवं वैधानिक अधिकारों की

जानकारी से वंचित रहते है या जिन्हें किसी विधिक परामर्श की आवश्यकता होती है उन्हें निःशुल्क विधिक परामर्श देकर उनकी समस्याओं का निदान किया जाता है।

(4) मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजनाः—मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, 2001'' बनाई गई है। यह योजना प्रत्येक जिला एवं तहसील स्तर पर स्थापित मजिस्ट्रेट न्यायालयों में निरूद्ध बंदियों को रिमाण्ड प्रकरणों में पैरवी करने एवं जमानत के लिए आवेदन देने हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कोई भी व्यक्ति स्वतः या अपने रिश्तेदार द्वारा न्यायालय में बैठे मजिस्ट्रेट अथवा जिला विधिक सहायता अधिकारी को आवेदन देकर सहायता प्राप्त कर सकता है ।

(5) लीगल क्लीनिक :—यह क्लीनिक मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जबलपुर एवं उसकी दोनों खण्डपीठ इंदौर एवं ग्वालियर एवं प्रदेश के समस्त जिला न्यायालयों में कार्यरत है, जिसमें निर्धारित स्थान पर प्रतिदिन कार्य दिवस में योग्य अभिभाषक बैंठकर सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को उनकी समस्याओं के बारे में मुफ्त कानूनी सहायता और सलाह देते है ।

(6) महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई कार्यक्रम—महिला एवं बच्चों से संबंधित समस्याओं का निदान कर उन्हें शीघ्र न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' का गठन किया गया है। यह इकाई सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला एवं बच्चों में उनके विधिक अधिकारों, कर्तव्यों के संबंध में उन्हें जागरूक कर उनकी समस्याओं का निदान करती है।

(7) श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ कार्यक्रम :—श्रम, विधियों के प्रभावकारी क्रियान्वयन, श्रमिक कामगारों की सुरक्षा, उन्हें निर्धारित मजदूरी दिलाने, महिला कामगारों के प्रति भेदभाव एवं उन्हें लैंगिक प्रताड़ना से रोकने तथा बच्चों को श्रमिक के रूप में कार्य कराने से रोकने के संबंध में एवं हितग्राही को न्याय दिलाने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में ''श्रमिकों के विरूद्व अपराध प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। कोई भी पीड़ित श्रमिक जिसके विरूद्व अन्याय या अत्याचार हो रहा है उसे समान मजदूरी न देकर भेदभाव किया जा रहा है। वह न्याय प्राप्त करने एवं अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिये उक्त प्रकोष्ठ में जाकर आवेदन दे सकता है ।

(8) मीडियशन कार्यक्रमः—विवादों के वैकल्पिक निराकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रकरणों में मध्यस्थता व आपसी सुलह समझौता के माध्यम से निराकरण कराने के लिये कार्यक्रम आयोजित कराना एवं इसके लिये न्यायिक अधिकारीगण, अधिवक्तागण, सामाजिक कार्यकर्तागण के गठित मीडियेटर्स दल को प्रशिक्षण देना।

(ब.) लोक अदालत योजना—

लोगों को शीघ्र सस्ता एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, आपसी समझौते के आधार पर विवादों के निराकरण के लिये उच्च न्यायालय, जिला एवं तहसील स्तर के न्यायालयों में लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। मुख्य रूप से लोक अदालतें दो प्रकार के प्रकरणों पर विचार करती है :—

(1) ऐसे प्रकरण जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

(2) ऐसे प्रकरण जो अभी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुए है (प्रीलिटिगेशन)

वर्तमान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निम्न प्रकार की लोक अदालतों का आयोजन कराया जा रहा है।

1. नेशनल लोक अदालत।

2. मेगा लोक अदालत।

3. मासिक नेशनल लोक अदालत।

4. स्थायी एवं निरंतर लोक अदालत।

5. लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत (धारा 22(बी) के अंतर्गत)।

6. महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालत।

7. जेल लोक अदालत।

8. प्ली—बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरण।

9. मोबाइल लोक अदालत।

10. पारिवारिक महिला लोक अदालत।

<u>लोक अदालत के लाभ :—</u>

1— पक्षकारों के मध्य आपसी सद्भाव बढ़ता है तथा दुश्मनी/वैमनस्यता समाप्त हो जाती है।

2— समय, पैसा एवं अनावश्यक मेहनत की बचत हो जाती है ।

3— लोक अदालत में मामला निपट जाने पर मामले में लगी कोर्टफीस वापस हो जाती है।

4— लोक अदालत में प्रकरण के निराकरण होने से लोक अदालत के निर्णय या आदेश/डिक्री/अवार्ड के विरूद्ध कोई अपील या रिवीजन नहीं होती ।

5— मोटर दावा दुर्घटना एवं अन्य क्षतिपूर्ति प्रकरणों में मुआवजा राशि शीघ्र मिल जाती है ।

(स.) विधिक साक्षरता।

(1). विधिक साक्षरता शिविर योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता स्कीम, 1999 तैयार की गई है जिसके अनुसार उच्च न्यायालय स्तर, जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर शहरी गंदी बस्तियों एवं सुदूर ग्रामीण अंचलों के साथ—साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जा रहा है इन शिविरों में न्यायाधीशगण, अधिवक्ता, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य, अधिकारीगण, महिलायें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त व्यक्ति, विधि शिक्षक, विधि विद्यार्थियों के प्रतिनिधि रहते है। विधिक साक्षरता शिविरों में अन्य वर्गो के साथ साथ अनुसूचित जाति वर्ग के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं का समाधान कर उनके मौलिक एवं वैधानिक अधिकारों तथा उनके हित संरक्षण में बनाये गये विभिन्न कानूनों एवं योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें विधिक रूप से जागरूक बनाया जाता है। छुआछूत, दहेज प्रथा, बंधुआ मजदूर, बाल विवाह आदि कुरीतियों एवं बुराईयों के साथ—साथ भरण पोषण, उपभोक्ता फोरम आदि विषयक नुक्कड़ नाटक तैयार किये गये है, जिनका जेसीज क्लब, लायन्स क्लब, रोटरी क्लब ,गैर सरकारी एवं सरकारी विभागों के सहयोग से मंचन कराया जाकर लोगों को विधिक जागरूक बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा संचालित विधिक सेवा (सहायता/सलाह), लोक अदालत, विधिक साक्षरता शिविर आदि योजनाओं से संबंधित गीत संगीत, ऑडियों कैसेट के माध्यम से जानकारी दी जाती है तथा पम्पलेट्स, पोस्टर, हैण्डबिल्स, लिट्रेचर आदि वितरित कर वृहद प्रचार प्रसार किया जाकर अन्य वर्गो के साथ—साथ अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लोगों को भी जागरूक बनाया जा रहा है ।

(2). विवाद विहीन ग्राम योजना :—

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा ''विवाद विहीन ग्राम योजना, 2000 ''विरचित की गई है, ''विवाद विहीन ग्राम'' का तात्पर्य ऐसे गांवों से है जिसमें उस गांव में रहने वाले व्यक्तियों में कोई विवाद न हो और यदि हो तो उसे आपसी सद्भाव, समझौते या लोक अदालत के माध्यम से शीघ्र निपटा लिया गया हो । यह कार्य जिला प्राधिकरण एवं तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के साथ—साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में किया जाता है ।

(3). प्रचार—प्रसार :—

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा संचालित एवं क्रियांवित योजनाओं का प्रचार—प्रसार प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कराया जाता है।

वर्ष 2015 (जनवरी 2015 से सितम्बर 2015 तक) की भौतिक उपलब्धियाँ :—

(अ.) विधिक सेवायें—

1—विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) कुल **57,369** व्यक्तियों को विधिक सहायता/विधिक सलाह योजना के माध्यम से लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के **11,688,** अनुसूचित जनजाति के **12,245** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **33,436** व्यक्ति सम्मिलित है।

2—पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र योजना :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में ''पारिवारिक विवाद समाधान केन्द्र'' योजनांतर्गत कुल **377** प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **79** अनुसूचित जनजाति वर्ग के **104** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **194** प्रकरण सम्मिलित है।

3—जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में जिला विधिक परामर्श केन्द्र योजना द्वारा कुल **4044** प्रकरणों का निराकरण कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **978,** अनुसूचित जनजाति वर्ग के **681** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **2385** प्रकरण सम्मिलित है ।

4—मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में ''मजिस्ट्रेट न्यायालयों में विधिक सहायता अधिवक्ता योजना'' द्वारा कुल **892** प्रकरणों में **893** व्यक्तियों को रिमाण्ड/जमानत हेतु विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसमें अनुसूचित जाति **167**, अनुसूचित जनजाति के **125** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **601** व्यक्ति सम्मिलित है ।

5—लीगल एड क्लीनिक :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में ''लीगल एड क्लीनिक'' द्वारा कुल **6564** आवेदन पत्रों का निराकरण कराते हुए **6564** ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **1561,** अनुसूचित जनजाति के **953** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **4050** व्यक्ति सम्मिलित है ।

6—महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में ''महिला एवं बाल सुरक्षा इकाई'' द्वारा कुल **145** प्रकरणों का निराकरण कराते हुए **164** ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **42**, अनुसूचित जनजाति के **16** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **106** व्यक्ति सम्मिलित है ।

7—श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में ''श्रमिकों के विरूद्ध अपराध—प्रकोष्ठ कार्यक्रम'' द्वारा कुल **164** प्रकरणों का निराकरण कराते हुए **167** ब्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **55**, अनुसूचित जनजाति के **41** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **71** व्यक्ति सम्मिलित है ।

8—मीडियशन कार्यक्रम :—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) में मीडियशन के माध्यम से कुल **12691** प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं इसी वित्तीय वर्ष में **07** मीडियशन कार्यक्रम आयोजित कर कुल **201** लोगों को प्रशिक्षित कराया गया।

(ब.) लोक अदालतों की जानकारी—

1. **वार्षिक नेशनल/मेगा लोक अदालतः— वर्ष 2015** में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रदेश में दिनांक **12 दिसम्बर 2015** को उच्च न्यायालय, समस्त जिला एवं समस्त तहसील मुख्यालयों में वार्षिक नेशनल लोक अदालत का आयोजन कराया गया। जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल **29,43,278** प्रकरणों का निराकरण कराया जाकर, कुल राशि रूपये **20,88,93,76,053**/— मुआवजा/डिक्री/ वसूली/समझौता राशि का अवार्ड पारित किया गया और **1,02,14,293** पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

2. **मासिक नेशनल लोक अदालतः'— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) **दिनांक 25 अप्रैल 2015, 27 जून 2015, 25 जुलाई 2015, 22 अगस्त 2015, 26 सितम्बर 2015 एवं 31 अक्टूबर 2015** को प्रदेश के समस्त न्यायालयों में मासिक नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया। उक्त मासिक नेशनल लोक अदालतों में **6,97,642** प्रकरणों का निराकरण कराया गया एवं **4,07,04,81,507**/— रू0 का अवार्ड पारित किया गया और **10,46,463** पक्षकारों को लाभांवित कराया गया।

3. **स्थायी एवं निरंतर लोक अदालतः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) कुल **1402** लोक अदालतें आयोजित की जाकर **1,14,232** प्रकरणों का निराकरण कराया गया है । उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के **8478** अनुसूचित जनजाति वर्ग के **6875** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **98,879** प्रकरण सम्मिलित है।

4. **लोक उपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालतः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) **239** लोक अदालतें आयोजित की जाकर **495** प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के **40**, अनुसूचित जनजाति वर्ग के **79** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **376** प्रकरण सम्मिलित है।

5. **महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत लोक अदालतः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) **59** लोक अदालतें आयोजित की जाकर, **691** प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के **92** अनुसूचित जनजाति वर्ग के **46** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **553** प्रकरण सम्मिलित है।

6. **जेल लोक अदालतः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) **32** लोक अदालतें आयोजित की जाकर, **37** प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के **8**, अनुसूचित जनजाति वर्ग के **4** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **25** प्रकरण सम्मिलित है।

7. **प्ली—बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत निराकृत प्रकरणः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) प्ली—बारगेनिंग प्रक्रिया के अंतर्गत **202** प्रकरणों का निराकरण कराया गया। उक्त निराकृत प्रकरणों में अनुसूचित जाति वर्ग के **31**, अनुसूचित जनजाति वर्ग के **39** तथा पिछड़ा एवं सामान्य वर्ग के **132** प्रकरण सम्मिलित है।

(स.) विधिक साक्षरता शिविर योजना।

1. **विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर :— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) कुल **3708** विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, **413809** व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **36435**, अनुसूचित जनजाति के **28143** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **349231** व्यक्ति सम्मिलित है।

2. **लघु विधिक साक्षरता शिविरः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) कुल **109** लघु विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, **24118** व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **3436**, अनुसूचित जनजाति के **2871** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **17811** व्यक्ति सम्मिलित है।

3. **मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविरः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) कुल **132** मनरेगा के अंतर्गत विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किए जाकर, **5714** व्यक्तियों को लाभांवित कराया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति **770**, अनुसूचित जनजाति के **927** एवं पिछड़ा तथा सामान्य वर्ग के **4017** व्यक्ति सम्मिलित है।

4. **विवाद विहीन ग्राम योजनाः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) विवाद विहीन ग्राम योजनांतर्गत किसी भी ग्राम को विवाद विहीन ग्राम घोषित नहीं किया गया है।

5. **प्रचार—प्रसार कार्यक्रमः— वर्ष 2015** में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) योजनाओं के प्रचार—प्रसार के लिये बुकलेट, पेम्पलेट, ब्रूचर्स, समाचार पत्रों के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से प्रादेशिक एवं जिला तथा तहसील स्तर तक प्रचार—प्रसार कराया गया हैं, जिसके कारण से जनसामान्य एवं दूर—दराज ग्रामीण अंचलों के लोगों को अधिक से अधिक संख्या में योजनाओं के माध्यम से लाभांवित कराया गया है।

(द.) स्थापित लीगल एड क्लीनिक एवं फ्रन्ट ऑफिस में सेवाऐं देने वाले प्रशिक्षित पैरालीगल वॉलेन्टियर्सः—

वर्ष 2015 में (माह जनवरी 2015 से दिसम्बर 2015 तक) कुल **981** लीगल एड क्लीनिक्स स्थापित की गई एवं प्रशिक्षित **2467** पैरालीगल वॉलेन्टियर्स द्वारा लीगल एड क्लीनिक्स एवं फ्रन्ट ऑफिस में सेवाऐं दी जा रही है।

भविष्य की योजनाएं

केन्द्र प्रवर्तित योजना से प्राप्त राशि में से नवीन न्यायालय भवनों, अतिरिक्त न्यायालय कक्षों तथा न्यायाधीशों के आवासगृहों का निर्माण किया जाना तथा न्यायिक क्षेत्र के सुदृढीकरण हेतु 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाना।